श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

विद्यावारिधि प्रवेश सूचना-2025-26

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2025-26 में विद्यावारिधि पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाईन माध्यम से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जा रहे है। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण की जायेगी। प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाईट WWW.Slbsrsv.ac.in पर देखने का कष्ट करें।

ऑनलाइन-आवेदन हेतु आरम्भ तिथि	20.10.2025
ऑनलाईन-आवेदन हेतु अन्तिम तिथि	31.10.2025
विलम्ब शुल्क सहित	01.11.2025 से 08.11.2025

सहायक कुलसचिव
शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

निर्देशिका

PROSPECTUS - 2025-26

विद्यावारिधि:(पीएच.डी.)

Vidya-Varidhi (Ph.D.)

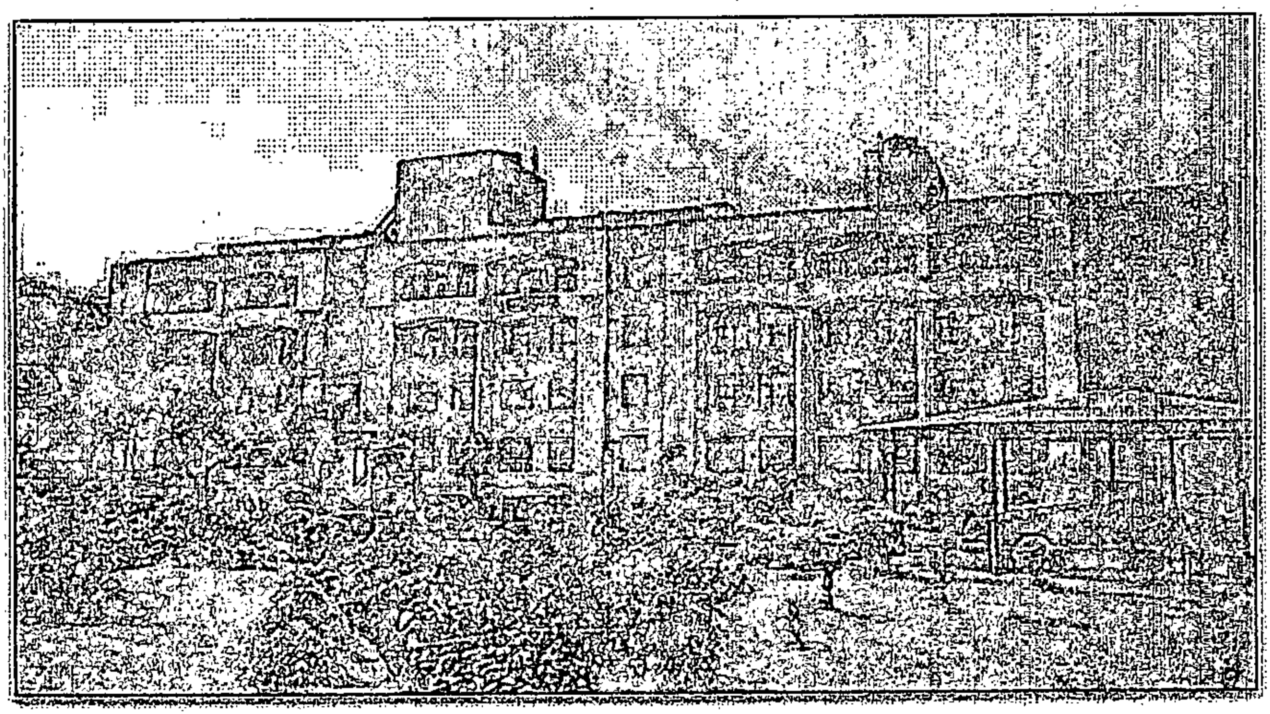

श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः

(केन्द्रीयविश्वविद्यालयः)

बी–4, कुतुबसांस्थानिकक्षेत्रम्, कटवारियासरायः, नवदेहली–110016

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय–विश्वविद्यालय)

बी–4, कुतुबसांस्थानिक क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016

SHRI LAL BAHADUR SHASTRI NATIONAL SANSKRIT UNIVERSITY

(CENTRAL UNIVERSITY)

B-4, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016

Ph: 011-46060820/548/609

Website: www.slbsrsv.ac.in

e-mail:entrance@slbsrsv.ac.in

प्रमुखतिथयः

ऑनलाइन-आवेदनतिथिः	20.10.2025 तः 31.10.2025 पर्यन्तम्
ऑनलाइन-आवेदन-तिथिः (विलम्बशुल्कसहितम्)	01.11.2025 तः 05.11.2025 पर्यन्तम्
विस्तृतज्ञानार्थं जालपुटम् अवलोक्यताम् ।	http://www.slbsrsv.ac.in

Vidya-Varidhi (Ph.D.)

IMPORTANT DATES

Online Application date	20.10.2025 to 31 .10.2025
Online Application with late fee	01.11.2025 to 05 .11.2025
For more information kindly visit website	http://www.slbsrsv.ac.in

विद्यावारिधि-आवेदनशुल्कः

- आवेदन् केवलम् ऑनलाइन् माध्यमेन भविष्यति।
- वि.वा. प्र.प. आवेदनपत्रशुल्कः 1500/- देयशुल्कतिथेः पश्चात् आवेदनपत्रशुल्कः 2500/- भविष्यति। (1000/-विलम्बशुल्कसहितम्)
- प्रवेशस्य समये त्रुटियुक्तावेदनपत्राणि नैव स्वीकरिष्यन्त।

REGISTRATION FEE
(2025-26)

- Application must be filled through **online only.** Filled Application form can be downloaded for own reference.
- Application fee for Rs 1500/- (Rupees Fifteen Hundred only) and after due date the fee will be Rs. 2500/- only. (including late fee of Rs. 1000/-)
- Incorrect application forms will not be entertained for admission in any of the course.

(प्रदत्त-शुल्कः नैव प्रत्यर्प्यते। जमा की गई फीस लौटाई नहीं जाएगी।)
Fee once paid will not be refunded.

Note:- If there is any change in the dates, the same will be uploaded on the University website. All rights reserved with SLBSNS University for cancelling/amending any of the rules/sub-rules contained in this document.

1. विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

भारत की राजधानी दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्कृत-शिक्षा-केन्द्र के अभाव की पूर्ति के उद्देश्य से अक्तूबर 1962 में इस संस्था की स्थापना की गई। 28 अक्तूबर 1963 को श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की अध्यक्षता में इसका पंजीयन किया गया। सन् 1970 से राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के तत्त्वावधान में प्रारम्भ होकर 01.11.1991 से यह संस्था 'मानित विश्वविद्यालय' के रूप में कार्यरत हुई । तत्पश्चात् मानित विश्वविद्यालय से अप्रैल, 2020 में केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुआ। विश्वविद्यालय वर्तमान में विभिन्न शास्त्रीय विषयों– शास्त्री (B.A.), आचार्य (M.A.), बी.ए (योग), एम.ए. (योग), एम.ए. (हिन्दू अध्ययन), एम.ए. (हिन्दी), एम.ए. (अंग्रेजी), एम.ए. (समाजशास्त्र) शिक्षाशास्त्री (B.Ed.), शिक्षाचार्य (M.Ed.) एवं विद्यावारिधि (Ph.D.) पाठ्यक्रमों को सञ्चालित करता है। शिक्षाशास्त्री एवं शिक्षाचार्य पाठ्यक्रम 'राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्' एवं विद्यावारिधि 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग', नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त है। विश्वविद्यालय द्वारा नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त स्व-वित्तपोषित अंशकालीन पाठ्यक्रम (प्रमाण पत्रीय, डिप्लोमा तथा पी.जी. डिप्लोमा) का संचालन भी किया जाता है। विश्वविद्यालय 'भारतीय विश्वविद्यालय संघ' की सूची भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) द्वारा विश्वविद्यालय को '**A++**' ग्रेड प्रदान किया गया है जो इसकी उत्कृष्ट शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रतीक है।

2. पाठ्यक्रम

विद्यावारिधि (पीएच.डी.)

संस्कृत वाङ्मय एवं शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न विषयों में शोधकार्य को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्यावारिधि शोधोपाधि के लिए विश्वविद्यालय में अभ्यर्थियों का पंजीकरण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा पीएच.डी 2025-26 में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशो के अनुसार किया जायेगा। **योग्यताधारक अभ्यर्थी विद्यावारिधि-पाद्यक्रम के अन्तर्गत निम्न-विषयों में शोधकार्य के लिए अर्ह होंगे।**

वेद वेदांगपीठ के अंतर्गत विषय	दर्शनशास्त्रपीठ के अंतर्गत विषय	साहित्य एवं संस्कृतिपीठ के अंतर्गत विषय	पुराणविद्यापीठ	शिक्षाशास्त्रपीठ के अंतर्गत	आधुनिक विषयपीठ के अन्तर्गत
शुक्लयजुर्वेद	प्राचीनन्याय	साहित्य	पुराणेतिहास	शिक्षाशास्त्र	हिन्दी*
धर्मशास्त्र	नव्यन्याय	प्राकृतभाषा			हिन्दू अध्ययन *
नव्यव्याकरण	सर्वदर्शन				अंग्रेजी
प्राचीनव्याकरण	सांख्ययोग				
पौरोहित्य (कर्मकाण्ड)	अद्वैतवेदान्त *				
सिद्धान्तज्योतिष	विशिष्टाद्वैतवेदान्त				
फलितज्योतिष	**मीमांसा**				
वास्तुशास्त्र	**जैनदर्शन**				
	योग *				

* वर्तमान में अद्वैतवेदान्त, हिन्दी, योग एवं हिन्दू अध्ययन में स्थान रिक्त नहीं है।

सूचनाः- 1. अभ्यर्थी को अपनी निर्धारित अर्हता अनुसार ही संबंधित विषय में आवेदन करना होगा।

3. अर्हता

विद्यावारिधि प्रवेश-परीक्षा के लिये अर्हता

1. **परंपरागत विषय में विद्यावारिधि हेतु**
   संबंधित विषय में आचार्य उपाधि कम से कम 55 प्रतिशत अंकों अथवा तत्समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण हो।
2. **शिक्षाशास्त्र विषय में विद्यावारिधि हेतु**
   शिक्षाचार्य अथवा एम.एड./एम.ए. (शिक्षा) 55 प्रतिशत अंक तथा स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो।
3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमी लेयर) व अन्य-असक्षम अभ्यर्थियों के लिए 50% अङ्कों की उपलब्धि भी मान्य होगी।
4. भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण-नीति का पालन किया जाएगा (अनुसूचित जाति 15%, अनुसूचित जनजाति 7.5% अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, आर्थिक कमजोर वर्ग 10%) तथा दिव्यांग श्रेणी 4% अन्य आरक्षण भारत सरकार के नियमानुसार होंगे।

नोट– संबधित आवेदक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित नेट/जे.आर.एफ. कोड संख्या के अनुसार संबंधित विषय में ही नेट/ जे.आर.एफ. की परीक्षा उत्तीर्ण हो। (शिक्षा–09, संस्कृत–25, जैन–60, संस्कृत परंपरागत विषय–73, प्राकृत–91, अंग्रेजी–30) नियमानुसार संबंधित विषय में जे.आर.एफ. परीक्षा उतीर्ण अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के अंतर्गत संबंधित विषय में ही प्रवेश दिया जाएगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (पीएच.डी.) उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड प्रक्रिया विनियम, 2022 तथा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यायदेश के अनुसार विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन.टी.ए द्वारा आयोजित की जाने वाले यू.जी.सी./नेट परीक्षा में प्राप्त परीणाम को 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में प्राप्त परीणाम को 30 प्रतिशत अंकभार दिया जायेगा। सम्बन्धित विभाग की प्रवेश समिति की अनुशंसा के उपरांत ही अस्थायी प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

i. विदेशी अभ्यर्थी, जिन्होंने भारत के बाहर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यू.जी.सी. से भी मान्य है, से संस्कृत/शिक्षा में अथवा संस्कृत-परम्परागत किसी शाखा में, स्नातकोत्तर उपाधि, न्यूनतम 55% अंक के साथ अथवा उसके समान-श्रेणी में उत्तीर्ण की हो, वे सभी भारत सरकार के 'विदेश-मंत्रालय' एवं 'शिक्षा मंत्रालय' के माध्यम से इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ii. प्रवेश के लिए वे अभ्यर्थी भी योग्य माने जायेंगे, जिन्होंने स्नातकोत्तर-परीक्षा दी हो; किन्तु परीक्षा-परिणाम घोषित न हुआ हो। ऐसे अभ्यर्थियों को अस्थायी-आधार पर प्रवेश दिया जाएगा और उन्हें पंजीकरण तिथि से एक माह के भीतर अपना परीक्षा परिणाम एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा उनका अस्थायी प्रवेश रद्द माना जाएगा।

सूचना:-अनु. जाति/अनु.जनजाति/ओ.बी.सी.(नॉन क्रीमी लेयर)/ अन्य अक्षम वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऊपर-निर्दिष्ट अर्हता में 5% अंकों की छूट देय है। प्रवेश हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

4. विभागानुसार रिक्त स्थानों का विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक आचार्य-08, सह-आचार्य-06 एवं सहायक आचार्य-04 स्थान शोध कार्य हेतु निर्धारित किये गये है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में सम्बन्धित विभागों में उपलबध स्थानों के अनुसार प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

विभागीय शोध-समिति की अनुशंसा के अनुसार अथवा अन्य किन्हीं अपरिहार्य कारणों से विश्वविद्यालय के कुलपति की स्वीकृति अनुसार इस संख्या में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

5. चयन-विधि

1. विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदको को आनलाईन माध्यम से सम्बन्धित पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
2. सम्बन्धित विभाग में उपलब्ध सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले पात्र आवेदकों की संख्या सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी।
3. यू.जी.सी.-नेट जून 2024, दिसम्बर 2024 एवं जून 2025 के नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियो को सम्मिलित किया जायेगा।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 2022 तथा तदनुरूप विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित विद्यावारिधि मार्गदशिका के अनुपालन में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु एन.टी.ए. द्वारा आयोजित होने वाली यू.जी.सी-नेट परीक्षा में प्राप्त परिणाम को 70 प्रतिशत एवं साक्षात्कार में प्रापत परिणाम को 30 प्रतिशत अंकभार दिया जायेगा।
5. सम्बन्धित विभागों में उपलब्ध-स्थानों के आधार पर ही अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अनुसार प्रवेश हेतु पात्रता का विवरण निम्न प्रकार से है:-

Qualified for	Eligible for		
	JRF	Assistant Professor	Ph.D. Admission
Category-1: Award of JRF and appointment as Assistant Professor	Yes	Yes	Yes
Category-2: Appointment as Assistant Professor and admission to Ph.D.	No	Yes	Yes
Category-3: Admission to Ph.D. only	No	No	Yes

उक्त के संदर्भ में यू.जी.सी. द्वारा प्रकाशित सूचनायें दिनांक 27 मार्च 2024 तथा 28 मार्च 2024 https://www.ugc.gov.in/pdfnews/6669193_Letter-NET-for-Admission-to-PhD.pdf पर देखी जा सकती है।

6. निर्धारित शुल्क

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	शुल्क
1.	विद्यावारिधि (**Ph.D.**)	8000 रु. एकमुश्त

विश्वविद्यालय द्वारा शोध छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। परन्तु अन्य विविध गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क सभी छात्रों द्वारा भुगतान किया ज़ाना अनिवार्य है।

विविध व्ययः-विश्वविद्यालय में जो शिक्षण-प्रशिक्षण से सम्बन्धित सामान्य विविध-व्यय होगा, वह प्रत्येक छात्र/छात्रा से अतिरिक्त लिया जाएगा। यह सामान्य-शुल्क होगा, जो अभ्यर्थियों के लिए या उनसे सम्बन्धित-कार्यों पर व्यय होगा।

7. आरक्षण का प्रावधान

विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित-स्थानों में भारत सरकार के नियमानुसार निम्नलिखित प्रकार से स्थान आरक्षित हैं। यथा-

- ❖ अनुसूचित-जाति — 15% प्रतिशत
- ❖ अनुसूचित-जनजाति — 7.5% प्रतिशत
- ❖ दिव्यांगजन वर्ग (OH/HH/VH) — 5% प्रतिशत (Horizontally reservation)
- ❖ अन्य-पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) — 27% प्रतिशत
- ❖ आर्थिक पिछड़ा वर्ग — 10% प्रतिशत

अन्य प्रावधान (सामान्य सीटों से)

- ❖ कश्मीरी प्रवासी/अप्रवासी — 5% प्रतिशत
- ❖ युद्ध/सैनिक संघर्ष में घायल/मृत-व्यक्तियों के बच्चों/विधवाओं — 3% प्रतिशत
  (प्रमाणपत्र में हत/आहत अवस्था का स्पष्ट-उल्लेख अपेक्षित है।)

सूचना-

- ➢ उपर्युक्त श्रेणियों के आवेदक अपने आरक्षण-प्रमाणपत्र को स्वप्रमाणित करके आवेदनपत्र के साथ संलग्न करें; अन्यथा उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ➢ **आरक्षित–श्रेणी के अभ्यर्थियों के अभाव में रिक्त–स्थानों की पूर्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार की जाएगी।**
- ➢ **प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संबंधित विभाग द्वारा अभ्यर्थी की प्रवेश अर्हता जैसा कि संबंधित विषय में आचार्य अंक प्रतिशत, एम.ए. (संस्कृत) उपाधि धारक अभ्यर्थी द्वारा चयनित विषयों तथा अध्ययन विषय आदि की समीक्षा की जाएगी। संबंधित विभाग द्वारा योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी। तदुपरांत ही योग्य अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा।**

(ब.) आरक्षित श्रेणियों के प्रमाणपत्र

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट, सबडिविजनल मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/एम.आर.ओ.।

(ii) दिव्यांग-प्रत्याशियों के लिए मुख्य स्वास्थ्य-अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय।
(न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता पर ही विचार किया जायेगा।)

(iii) सशस्त्र-सैनिकों के बच्चों/विधवाओं के लिए सचिव थल/नौसेना/वायुसेना बोर्ड।

(iv) कश्मीरी प्रवासियों के लिए– उपायुक्त / सक्षम अधिकारी (कार्यालय की मोहर सहित)

8. 2025-26 (महत्त्वपूर्ण तिथियाँ)

प्रमुख तिथियां -		
❑ आनलॉइन आवदेन	20.10.2025 से	31.10.2025
❑ आनलॉइन आवदेन (विलम्ब शुल्क सहित)	01.11.2025 से	05.11.2025

नोट- किन्हीं अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। जानकारी हेतु अभ्यर्थी समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें।

1. आवेदनपत्र केवल आनलॉइन-माध्यम से किया जाएगा।
2. आवेदनपत्र-शुल्क 1500/-, देय तिथि के पश्चात् आवेदन-शुल्क 2500/- होगा (रू 1000/- विलम्ब-शुल्क) जो आनलॉइन-माध्यम द्वारा जमा किया जाएगा।

9. अत्यावश्यक

1. अर्ह-अभ्यर्थी आवेदन हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.slbsrsv.ac.in** द्वारा आनलॉइन माध्यम से कर सकते हैं।
2. आनलॉइन आवेदनपत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
3. आनलॉइन-आवेदन पत्र में दी गई सूचना का सत्यापन साक्षात्कार और प्रवेश के समय होगा।
4. किसी भी प्रकार की असत्य-सूचना प्रमाणित होने पर नियमानुसार कानूनी-कार्यवाही की जाएगी। प्रवेश से वंचित करना/प्रवेश निरस्त करना भी इसमें शामिल है।
5. आनलॉइन-आवेदन पत्र पर अपनी स्पष्ट और अद्यतन-फोटो तिथि सहित अपलोड करें। तीन माह से पहले खिंचवाया गया फोटो स्वीकृत नहीं किया जाएगा। प्रवेश के समय यदि फोटो मिलान नहीं करेगा, तो प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. अन्तिम-तिथि के बाद आनलॉइन-आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
7. यू.जी.सी. द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित अर्हता के अनुसार अर्ह आवेदक की आवेदन कर सकते है।

10. ध्यातव्य बिन्दु

1. केवल अर्ह-अभ्यर्थियों को प्रवेश योग्यताक्रम के अनुसार दिया जाएगा।
2. विद्यावारिधि-पाठ्यक्रम यू.जी.सी. द्वारा मान्यता-प्राप्त है। विश्वविद्यालय में निर्धारित स्थानों के अनुसार वरीयता-क्रम से ही प्रवेश दिया जायेगा।
3. प्रवेशार्हता की जांच एवं आरक्षणादि का निर्णय विश्वविद्यालय के अधीन है।
4. यह योग्यताक्रम-सूची केवल वर्ष-2025-26 के लिए वैध होगी।
5. प्रवेश के विषय में सम्बद्ध-विश्वविद्यालय के कुलपति का निर्णय ही अन्तिम होगा।
6. न्यायिक विषयों में दिल्ली/नई दिल्ली उच्च-न्यायालय का ही क्षेत्राधिकार होगा।

अन्तः शास्त्रीय विषयवर्ग सूची

1.	अद्वैत वेदांत/ विशिष्टाद्वैत	सांख्ययोग, न्याय, वैशेषिक, पुराणेतिहास, मीमांसा, आगम, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, सर्वदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग, रामानन्द वेदान्त, अद्वैत वेदांत विशिष्टाद्वैतवेदान्त।
2.	सांख्ययोग	वेदान्त, न्यायवैशेषिक, पुराणेतिहास, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, आगम, आयुर्वेद, संस्कृत (दर्शनवर्ग), तन्त्र-योग, द्वैताद्वैत।
3.	न्याय-वैशेषिक	वेदान्तः, सांख्ययोगः, बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, संस्कृत (दर्शनवर्ग), दर्शनशास्त्र, तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, द्वैताद्वैत।
4.	पुराणेतिहास	वेदान्त, सांख्ययोग, वेद, ज्योतिष, धर्मशास्त्र, आगम, तन्त्रयोग, सर्वदर्शन, साहित्य, संस्कृत (साहित्य)।
5.	व्याकरण	वेद, साहित्य, सांख्ययोग, पुराणेतिहास, भाषाविज्ञान, संस्कृत (व्याकरणवर्ग), तुलनात्मक भाषाविज्ञान।
6.	ज्योतिष	वेदांग, सिद्धान्त-ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खगोलशास्त्र, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
7.	वास्तुशास्त्र	वेदांग, सिद्धान्त-ज्योतिष, फलित-ज्योतिष, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, कृषि-विज्ञान, पर्यावरण-विज्ञान, खगोलशास्त्र, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, धर्मागम, सर्वदर्शन।
8.	धर्मशास्त्र	मीमांसा, वेद, ज्योतिष, कर्मकाण्ड, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, संस्कृति, तुलनात्मक विधिशास्त्र, भारतीय-विधिशास्त्र, आधुनिक भारतीय कानून, धर्मागम।
9.	मीमांसा	धर्मशास्त्र, वेद, वेदान्त, आगम, संस्कृत (दर्शनवर्ग), दर्शन, तन्त्रयोग, सांख्ययोग, धर्मागम, सर्वदर्शन।
10.	जैनदर्शन	प्राकृतभाषा, पालि, संस्कृत, बौद्धदर्शन, सांख्य-योग, स्थापत्य-कलाविज्ञान, भारतीय प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, जैनतन्त्र, बौद्धतन्त्र, सर्वदर्शन।
11.	सर्वदर्शन	वेदान्त, द्वैताद्वैत, पाश्चात्य दर्शन एवं अन्य दर्शन।
12.	साहित्य	व्याकरण, पुराणेतिहास, तन्त्रागम, संस्कृति, दर्शन, पालि, प्राकृतभाषा, संस्कृत।
13.	शुक्लयजुर्वेद	व्याकरण, वेदान्त, आगम, तन्त्रागम, योगतन्त्र, धर्मशास्त्र, मीमांसा, पौरोहित्य, पुराणेतिहास, सांख्ययोग, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पुरातत्त्व, अभिलेखशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, सर्वदर्शन।
14.	प्राकृतभाषा	संस्कृतरूपकवाङ्मय, जैनदर्शन, बौद्धदर्शन, भाषाशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति, वेद, वेदान्त, अभिलेखशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र एवं वास्तुशास्त्र।
15.	शिक्षा शास्त्र	शिक्षादर्शन, शिक्षा-मनोविज्ञान, शैक्षिक-शोध , शैक्षिक-तकनीकी एवं अध्यापक-शिक्षा इत्यादि।